न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/277
मिसल नम्बर– 85 / 2024

1.देवकरण गुर्जर आत्मज स्व0 कल्याण जाति गुर्जर
2.श्रीमती प्रेम बाई पत्नी देवकरण जाति गुर्जर निवासी मकान नं0 281 सरकारी स्कूल के पास वल्लभबाड़ी गुंमानपुरा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.महावीर प्रसाद आत्मज देवकरण जाति गुर्जर
2.हेमलता पत्नी महावीर प्रसाद जाति गुर्जर निवासी मकान नं0 281 सरकारी स्कूल के पास वल्लभबाड़ी गुंमानपुरा कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 30/5/25

उपस्थितिः–
1.श्री अशोक कुमार गुप्ता प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.श्री विष्णु प्रकाश शर्मा, श्री भुवनेश सुमन अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व का एक मकान 281 सरकारी स्कूल के पास वल्लबाडी गुमानपुरा कोटा राजस्थान मे स्थित है जिसका पट्टा विलेख नगर निगम कोटा द्वारा प्रार्थिया क्रम 2 के पक्ष मे जारी हो रहा है जिसका पंजीयन उपपंजीयक कोटा के यहां पुस्तक सं0 1, जिल्द सं 1586 पृष्ट स0 186 ,क्रम सं0 202203123105112 पर दिनाक 6–4–2022 को पंजीबद्ध हो रहा है। उपरोक्त मकान पूर्णरूपेण निर्मित है जिसमे 14 कमरे दो रसोई एवं लेट बाथ आदि बने है तथा प्रथम तल पर एक रसोई बनी है तथा शेष जगह खाली है। अप्रार्थी नं 1 प्रार्थीगण का पुत्र है तथा अप्रार्थिया नं 2 पुत्रवधु है तथा दोनो पुत्र व पुत्रवधु होने से प्रार्थीगण ने उपरोक्त मकान मे स्थित ग्राउण्ड फ्लोर पर आगे का एक कमरा व रसोई रहने बाबत बतौर लाइसेन्सी दिए थे तथा लेट बाथ का उपयोग कॉमन रूप से कर रहा है तथा कोरोनाकाल मे अप्रार्थी नं0 2 ने पीछे का एक कमरा और 15 दिन के लिए यह कहते हुए ले लिया कि कोरोना के बाद वह कमरा वापस प्रार्थीगण को खाली कर संभला देगे इस प्रकार वर्तमान मे अप्रार्थीगण के पास दो कमरे व रसोई है तथा विघुत उपभोग बाबत अप्रार्थीगण को सममीटर के हिसाब से चार्ज देना था लेकिन अप्रार्थीगण पर 1633 यूनिट का बिजली बिल बकाया चल रहा है तथा दोनो प्रार्थीगण वरिष्ठ जागरिक है अप्रार्थीगण द्वारा दोनो प्रार्थीगण को आए दिन प्रताडित किया जा रहा है तथा अप्रार्थिया नं 2 भददी भददी गालियां देकर दिन प्रतिदिन अपमानित करती है तथा झूठे मुकदमो मे फंसाने की धमकी देती है तथा अप्रार्थी नं 1 भी आए दिन स्मैक पीकर नशे पत्ते मे लडाई झगडा करता है तथा बाहर के लोगो को बुलाकर पीछे के

उप

कमरे मे बिठाकर स्मैक पिलाता है तथा सभी लोग न्यूसेन्स करते है तथा दोनो अप्रार्थीगण ने पुत्र व पुत्रवधु के रिश्ते को तार तार कर दिया है दोनो प्रार्थीगण का एवं अन्य पुत्र एवं पुत्रवधु का रहना दूभर हो चुका है तथा दोनो अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी हम प्रार्थीगण की जन हानि हो सकती है तथ बाकी दोनो पुत्री का इन्होंने जीना दूभर कर रखा है और वर्तमान मे दो कमरे एवं रसोई पर नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है तथा विद्युत उपभोग की राशि भी नही दी जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा हम प्रार्थीगण तथा अन्य परिवारजन को नाजायज रूप से परेशान करके संपूर्ण मकान मे न्यूसेन्स कारित कर रखा है तथा प्रार्थीगण का जीवन सुरक्षित नही है तथा अप्रार्थी न 1 द्वारा हम अप्रार्थीगण को परेशान करने की गरज से झूठे मुकदमे न्यायालय मे किए जा रहे है जिससे हम परेशान होकर आत्महत्या कर लेवे तथा हम अप्रार्थीगण से परेशान हो चुके है अब अप्रार्थीगण को अपनी स्वामित्व वाली संपत्ति मे नही रहने देना चाहते तथा खाली कब्जा चाहते है इसलिए अप्रार्थीगण से हम प्रार्थीगण को अपने मकान मे स्थित दो कमरे एवं रसोई से खाली कब्जा प्रार्थीगण को दिलाया जावे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से स्वयं के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित मकान न0 281 बल्लभबाड़ी गुमानपुरा कोटा के कब्जे वाले पोरशन दो कमरे व रसोई का खाली कब्जा दिलाया जावे तथा विद्युत उपभोग की राशि दिलायी जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्यो को छिपाते हुये तथा झूठे व मनगढन्त तथ्य अंकित करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। जिस मकान सख्या 281, सरकारी स्कूल के पास, बल्लभबाड़ी, गुमानपुरा कोटा का स्वामी बताते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वास्तविकता मे उक्त मकान प्रार्थीगण के स्वामित्व का नही होकर अप्रार्थी क्रम 1 के दादा स्व0 श्री कल्याण जी गुर्जर तथा रामनाथी बाई का है तथा कल्याण जी एंव रामनाथी बाई की मृत्यु के पश्चात उक्त मकान के कल्याण जी के पुत्र बजरंग लाल, रामकरण एवं देवकरण मालिक बने इन तीनो भाईयो के द्वारा पारिवारिक समझौता/बटवारा दिनांक 09.08.1988 को हुआ इस पारिवारिक समझौते/बंटवारे के अनुसार वाद वर्णित मकान प्रार्थी देवकरण के हिस्से मे आया। इस प्रकार उक्त मकान के प्रार्थीगण के साथ विधिक रूप से 6 उत्तराधिकारी है जिसमे कि प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा तथा प्रार्थीगण के अन्य पुत्र व पुत्री क्रमशः देशराज, हेमनत, संतोष एवं सोनिया प्रत्येक का 1/6 हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित सम्पत्ति पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति का अभी तक विधिवत रूप से बंटवारा नही हुआ है। अप्रार्थीगण का विवाह 06.05.1998 को हुआ तथा विवाह के पश्चात से ही प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को अलग कर दिया तब से ही अप्रार्थी अपनी पत्नी के साथ लगभग 24 वर्ष से उक्त पैतृक मकान में दो कमरो, एक एक रसोई मे निवासी करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण अत्यन्त क्रूर स्वभाव वाले व्यक्ति है तथा वर्षो से अप्रार्थी क्रम 2 के साथ घरेलू हिंसा करते चले आये है तथा अप्रार्थीगण को उक्त पैतृक मकान मे परिवार से लगभग 24 वर्षो से अलग कर दिया इस कारण अप्रार्थीगण अपने पुत्र –पुत्रियो सहित उक्त मकान मे पृथक से निवास करते है। प्रार्थीगण एवं उनके दोनो पुत्र हेमन्त व देशराज उक्त पैतृक सम्पत्ति वाले मकान को हड़पना चाहते है तथा मकान को बैंक मे गिरवी रखकर ऋण लेना चाहते है। इस कारण प्रार्थीगण ने उक्त पैतृक मकान का बंटवारा किये बिना ही नगर निगम कोटा उत्तर मे संपूर्ण मकान का पट्टा मात्र प्रार्थी क्रम 2 प्रेम बाई के नाम बनवाने हेतु आवेदन कर दिया। जिसकी जानकारी होने पर अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 29.12.2021 को नगर निगम मे आपत्ति प्रस्तुत की किन्तु प्रार्थीगण व निगम

उपखण्ड अधिकारी

मे कुछ कर्मचारियो की मिलीभगत के कारण अप्रार्थी की आपत्ति पर ध्यान नही दिया गया। निगम कर्मचारियो द्वारा आपत्ति का निस्तारण नही करने पर अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश क्रम 1 उत्तर के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रार्थीगण एवं नगर निगम कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसका वाद क्रमांक 50/2022 है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र क्रमांक 43/2022 है। इस दावे में अप्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना की गई कि प्रार्थीगण नगर निगम कोटा से वाद वर्णित पुश्तैनी मकान का पट्टा प्राप्त नही करे तथा नगर निगम कोटा प्रार्थीगण को पटटा जारी करने से निषिद्ध किया जावे और नगर निगम कोटा प्रार्थीगण को पट्टा जारी कर दिया जावे तो आदेशित कर पूर्व स्थिति बहाल किये जाने हेतु पाबन्द किया जावे। उक्त वाद के अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा पर उभय पक्षो को सुनकर न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2022 को विवादित स्थल की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये है। सिविल न्यायालय मे दावा विचाराधीन तथा स्थगन आदेश होने के बावजूद प्रार्थीगण ने निगम से मकान का पट्टा जारी करवा लिया तथा दिनांक 06.04.2022 को पट्टा रजिस्ट्री भी करवा लिया जिसकी जानकारी होने पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त गलत पट्टा जारी होने पर पट्टे को निरस्त व अवैध एवं शून्य घोषित करवाने हेतु नगर निगम कोटा को अन्तर्गत धारा 304 मुन्सिपल एक्ट के तहत दिनांक 25.05.2022 को कानूनी नोटिस देकर उक्त मुकदमे मे दिनांक 31.10.2022 को एक आवेदन ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत वाद पत्र में नगर निगम कोटा द्वारा जारी किया गया पट्टा दिनांक 01.04.2022 जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय कोटा मे पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1586 पृष्ठ संख्या 186 क्रम संख्या 202203123105112 पर हो रहा है, को निरस्त करने बाबत प्रस्तुत कर दिया है जिसमें तारीख पेशी दिनांक 17.01.2023 नियत है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति का अवैध रूप से पट्टा प्राप्त करने के उपरान्त उक्त मकान/सम्पत्ति पर ऐनकेन प्रकारेण भारयुक्त करने के उद्देश्य से मकान निर्माण का झुठे रूप से कथन कर पट्टे के आधार पर बैक या अन्य संस्था आदि से ऋण प्राप्त करने के लिये सम्पत्ति को गिरवी रखने रहन, बेचान, अन्तहरण न करे आदि, इस हेतु अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त वर्णित तथ्यो के संबंध में एक अन्य सिविल वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय सिविल न्यायाधीश क्रम 1 उत्तर कोटा के यहां प्रस्तुत कर दिया जिसका दावा संख्या 430/2022 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 353/2022 है जिसमें आगामी पेशी सुनवाई दिनांक 11.01.2023 नियत है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त सभी तथ्य माननीय न्यायालय से छिपाते हुये मात्र अप्रार्थीगण को उनके हिस्से वाले पैतृक मकान से बेदखल करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया तथा अप्रार्थीगण को धमकी दी है कि प्रार्थीगण के बुजुर्ग होने का फायदा उठाकर वे अप्रार्थीगण को उनके मकान से बेदखल कर देंगे। इस प्रकार अप्रार्थीगण की पुश्तैनी सम्पत्ति उक्त मकान का विभाजन किये बिना प्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा कृत्य, समस्त कार्य अवैध, अनाधिकृत और गैर कानूनी है तथा संविधान के मूल अधिकारो के विपरीत है। प्रार्थी क्रम 1 तथा प्रार्थी के अन्य दोनो पुत्र हेमनत व देशराज आपराधिक किस्म के व्यक्ति है जिन पर कई आपराधिक मुकमदे चल रहे है, इस कारण प्रार्थीगण अपने पुत्रो के साथ मिलकर अप्रार्थीगण को डरा धमकाकर उनके स्वामित्व वाले पैतृक मकान से बेदखल करना चाहते है। प्रार्थीगण के आधिपत्य मे उक्त मकान के 14 कमरे है जिसमे से 11 कमरो मे प्रार्थीगण ने किरायेदार रखे हुये है जिससे उन्हें 33,000/—रूपये प्रतिमाह की आमदनी होती है, इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के स्वामित्व व कब्जे काश्त की कृषि भूमि नृसिंहपुरा, बालापुरा, नयागांव में 30 बीघा स्थित है जिससे भी प्रार्थीगण को 2 लाख प्रतिवर्ष की आमदनी होती है इसके अतिरिक्त प्रार्थी के साथ रह रहे पुत्र हेमन्त गोचर का स्वयं का प्रोपर्टी डीलर का बडा

व्यवसाय है जिससे उसे लाखो रूपये प्रतिमाह की आय होती है तथा प्रार्थीगण के साथ निवास कर रहे अन्य पुत्र देशराज गोचर का डेयरी का व्यवसाय है जिससे उसे 50,000/–रूपये प्रतिमाह की आय होती है। इस प्रकार प्रार्थीगण व उनके पुत्रो हेमन्त व देशराज के पास आय के पर्याप्त साधन है जिससे प्रार्थीगण बहुत बेहतर स्तर का जीवन यापन कर रहे है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण की स्थिति अत्यन्त दयनीय है अप्रार्थी कम 1 को वर्षो पहले नशे की लत लग गई इस कारण उसके फेफडे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके है वह जेर ईलाज है उसका लगातार ईलाज चल रहा है। शरीर की स्थिति ऐसी है कि वह किसी प्रकार का कोई कार्य कर आय भी प्राप्त नही कर सकता तथा अप्रार्थी थोडी दूर भी पैदल नही चल पाता तथा दिन रात कमरे मे पड़ा रहता है तथा अप्रार्थी कम 2 आंगनबाडी में आशा सहयोगिनी के पद पर कार्यरत है जहां से उसे मात्र 2800/–रूपये मानदेय मिलता है जिससे पह पूरे परिवार का खर्चा भी बमुश्किल चला पाती है, अप्रार्थीगण के दो बेंटिया व एक बेटा है जो पढ़ाई कर रहे है । इस कारण स्वयं अप्रार्थीगण के पास स्वयं का भरण पोषण करने का साधन नही है, अभाव में जीवन व्यतीत हो रहा है, पारिवारिक जीवन निर्वाह करने के लिये अप्रार्थी कम 2 अपने पीहर से पिता, भाई आदि से आर्थिक सहायता प्राप्त कर स्वयं व परिवार का जीवन निर्वाह करना पड रहा है आये दिन अप्रार्थी कम 2 अपने पीहर वालो से आर्थिक मदद प्राप्त करती चली आ रही है, इस कार्य के लिये वह अपने जीवन मे बहुत शर्मिन्दगी मेहसूस करती है लेकिन अप्रार्थी कम 2 के पास इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नही है और यदि उन्हें घर से भी बेदखल कर दिया गया तो वे दर – दर की ठोकरे खाने के लिये मजबूर हो जायेंगे। प्रार्थीगण प्रेमबाई के द्वारा वाद वर्णित पैतृक अविभाजित सम्पत्ति/मकान का दुर्भावना पूर्वक नगर निगम कोटा से अपने नाम पट्टा बनवाने हेतु आवेदन करने पर अप्रार्थीगण को जानकारी होने पर अप्रार्थी कम 1 महावीर द्वारा नगर निगम मे आपत्ति करने पर एवं महावीर के द्वारा प्रार्थीगण एंवं नगर निगम के विरूद्ध उक्त वर्णित मकान का पटटा प्रार्थीगण प्राप्त न करे एंव नगर निगम कोटा प्रार्थीगण को पटटा जारी न करे. बाबत पेश करने पर हेमन्त एव देशराज के द्वारा दुर्भावनापूर्वक प्रार्थीगण से यह मुकदमा पेश कर दिया ताकि अप्रार्थीगण को इस मकान से बदेखल किया जावे एवं वह इस मकान पर ऋण प्राप्त कर सके अथवा इस मकान को किसी भी रूप में अन्तहरण विकृय कर सके। अप्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय मे उक्त वर्णित मुकदमे किये हुये है जिसमें पट्टे को निरस्त करने की प्रार्थना भी की हुई है यह सभी बिन्दु अन्तिम रूप सें सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित किये जायेगे। इस कारण माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही है एवं खारिज होने योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित सिविल न्यायालय मे किये गये दोनो मुकदमो मे कथन कि वाद वर्णित सम्पत्ति पेतृक संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है इस कथनो पर पर भी सिविल न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत के बाद निर्णय किया जायेगा। इसलिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही है एवं खारिज होने योग्य है, तब तक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सुनवाई स्थगित किया जाना न्यायोचित होगा। प्रार्थीगण द्वारा उक्त उल्लेखित पट्टा वास्तविक तथ्यों को निगम से छिपाकर एवं विधि विरूद्ध जाकर प्राप्त किया है, जो अवैध एंव प्रभावशून्य है, उक्त पट्टे के आधार पर प्रार्थीगण को उक्त अधिनियम के तहत आवेदन करने का अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान में 14 कमरे नही होकर 16 कमरे है जिसमे से 11 कमरो मे प्राथीगण ने किरायेदार रखे हये है जिससे प्रार्थीगण को 33,.000/–रूपये प्रतिमाह किराया प्राप्त हो रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को दो कमरे व एक रसोई लाईसेन्स पर नही दिये गये। अप्रार्थीगण को कब लाईसेन्स पर दिया उसकी कोई तारीख का अंकन नही किया, पुश्तैनी मकान होने से अप्रार्थीगण जन्म से इस मकान में निवास कर रहे है अपितु उक्त

मकान अप्रार्थीगण के दादाजी कल्याण गुर्जर एवं दादी रामनाथी बाई की मिल्कियत का है जिनकी मृत्यु के पश्चात कल्याण जी गुर्जर के उत्तराधिकारी बजरंगलाल, रामकरण एवं देवकरण मे पारिवारिक समझौता/बंटवारा होने पर वाद वर्णित मकान प्रार्थी देवकरण के हिस्से मे आया, मकान अविभाजित है, अप्रार्थी संयुक्त रूप से इस मकान के मालिक/काबिज है। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण उक्त मकान के 1/6 हिस्से के समान उत्तराधिकारी है तथा अप्रार्थी कम 1 जन्म से तथा अप्रार्थी कम 2 विवाह दिनांक 06.05.1998 से उक्त मकान में निर्बाध रूप से निवास करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिमाह प्रार्थीगण को अपने हिस्से के विघुत उपयोग का बिजली के बिल की राशि दी जाती है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा कभी कोई धमकी नही दी गई न अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण को प्रताडित किया जाता है, ना ही गालिया देकर अपमानित किया जाता है और ना ही झूठे मुकदमो मे फंसाने की धमकी दी जाती है, अप्रार्थी को स्मेक पीने का कथन असत्य है अप्रार्थी अन्य लोगो को पीछे कमरे मे बिठाकर स्मेक नही पिलाता है, ना न्यूसेन्स करता है अप्रार्थीगण द्वारा रिश्तो को तार तार कर देने का कथन गलत है, अन्य पुत्रो एवं पुत्रवधुओं का मकान में रहना दुभर होने का कथन एवं जनहानि होने का कथन असत्य है। यह सभी कथन प्रार्थीगण दुर्भावनापूर्वक कर रहे है। अपितु प्रार्थीगण अपने अन्य दो पुत्रो से मिलीभगत कर अप्रार्थीगण को उनके पैतृक मकान से बेदखल करना चाहते है तथा अवैध व प्रभावशून्य पट्टे के आधार पर ऋण लेना चाहते है। अप्रार्थीगण पुश्तैनी मकान मे अपने हिस्से पर विधिवत रूप से निवास कर रहे है । प्रार्थीगण अपने अन्य दो पुत्र तथ दो पुत्रवधुओं के साथ उक्त मकान मे निवास करते है, प्रार्थीगण के दोनो पुत्र आपराधिक किस्म के व्यक्ति है जो आये दिन अप्रार्थीगण से लड़ाई झगडा करते है तथा जान से मारने की धमकिया देते है। प्रार्थीगण के पास धन, बल तथा बाहूबल अधिक है जबकि अप्रार्थी कम 1 के फेफडे पूरी तरह खराब हो चुके है वह ठीक से चल भी नही पाता है तथा अप्रार्थी कम 2 बडी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालन कर रही है तथा अप्रार्थीगण द्वारा झूठा मुकदमा प्रार्थीगण पर नहीं लगाया है। बल्कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की सहमति के बिना तथ्यो को छिपाकर उनके पुश्तैनी सम्पूर्ण मकान का पट्टा प्रार्थी कम 2 के नाम बनवा लिया तथा सम्पूर्ण मकान पर लोन लेने का प्रयास कर रहे है जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त अवैध कत्य से रोकने के लिये अप्रार्थीगण ने सिविल न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया जो पूर्णतया वैध है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। दौराने बहस उभयपक्षकारान की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अप्रार्थीगण की ओर से कथन किया है कि उक्त मकान प्रार्थीगण के स्वामित्व का नही होकर अप्रार्थी कम 1 के दादा स्व0 श्री कल्याण जी गुर्जर तथा रामनाथी बाई का है तथा कल्याण जी एंव रामनाथी बाई की मृत्यु के पश्चात उक्त मकान के कल्याण जी के पुत्र बजरंग लाल, रामकरण एवं देवकरण मालिक बने इन तीनो भाईयो के द्वारा पारिवारिक समझौता/बटवारा दिनांक 09.08.1988 को हुआ इस

पारिवारिक समझौते/बंटवारे के अनुसार वाद वर्णित मकान प्रार्थी देवकरण के हिस्से मे आया। इस प्रकार उक्त मकान के प्रार्थीगण के साथ विधिक रूप से 6 उत्तराधिकारी है जिसमे कि प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा तथा प्रार्थीगण के अन्य पुत्र व पुत्री क्रमशः देशराज, हेमनत, संतोष एवं सोनिया प्रत्येक का 1/6 हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित सम्पत्ति पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति का अभी तक विधिवत रूप से बंटवारा नही हुआ है। अप्रार्थीगण का यह भी कथन रहा है कि प्रार्थीगण ने उक्त पैतृक मकान का बंटवारा किये बिना ही नगर निगम कोटा उत्तर मे संपूर्ण मकान का पट्टा मात्र प्रार्थी क्रम 2 प्रेम बाई के नाम बनवाने हेतु आवेदन कर दिया। जिसकी जानकारी होने पर अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 29.12.2021 को नगर निगम मे आपत्ति प्रस्तुत की किन्तु प्रार्थीगण व निगम मे कुछ कर्मचारियो की मिलीभगत के कारण अप्रार्थी की आपत्ति पर ध्यान नही दिया गया। निगम कर्मचारियो द्वारा आपत्ति का निस्तारण नही करने पर अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश क्रम 1 उत्तर के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रार्थीगण एवं नगर निगम कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण की ओर से अपने उक्त कथनों के समर्थन मे फोटो प्रति पट्टा, फोटोप्रति पारिवारिक समझौता पत्र, फोटो प्रति सिविल दावा, फोटोप्रति प्रार्थना पत्र, प्रमाणित प्रति दावा 50/2022, प्रमाणित प्रति नोटिस 304 राज0भू0अधि0, प्रमाणित प्रति आपत्ति प्रार्थना पत्र पटटा पेश किया है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से हम अप्रार्थीगण द्वारा किये गये कथन से सहमत है कि उक्त वर्णित मकान अप्रार्थी क्रम 1 के दादा स्व0 श्री कल्याण जी गुर्जर का है तथा कल्याण जी की मृत्यु के पश्चात उक्त मकान के कल्याण जी के पुत्र बजरंग लाल, रामकरण एवं देवकरण मालिक बने इन तीनो भाईयो के द्वारा पारिवारिक समझौता/बटवारा दिनांक 09.08.1988 को हुआ इस पारिवारिक समझौते/बंटवारे के अनुसार वाद वर्णित मकान प्रार्थी देवकरण के हिस्से मे आया। उक्त मकान प्रार्थीगण की स्वअर्जित सम्पत्ति नही है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो ने यह कथन किया है कि उक्त मकान में 14 कमरे बने हुये है एवं अप्रार्थीगण के पजेशन में 2 कमरे है। अप्रार्थीगण के पास मात्र 2 कमरे होने के बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को बेदखल करने का अनुतोष चाहा जो उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान नं0 281 सरकारी स्कूल के पास वल्लभबाड़ी गुंमानपुरा कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा